बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं0सं0–16/ए.3–03/2015 535 /(आ0चि0)पटना, दिनांक– 10.04.2019

राज्य में स्वास्थ्य विभागान्तर्गत आयुष के शैक्षणिक संस्थानों में सृजित एवं रिक्त पदों के विरूद्ध संविदा के आधार नियुक्त चिकित्सक एवं चिकित्सक शिक्षकों की संविदा अवधि विभागीय आदेश से विस्तारित की जाती रही है। संविदा पर कार्यरत चिकित्सक एवं चिकित्सक शिक्षक की संविदा अवधि भिन्न–भिन्न तिथियों को पूरी होती है। प्रत्येक वर्ष संविदा अवधि विस्तार करने में कठिनाईयाँ होती हैं एवं संविदा के आधार पर कार्यरत चिकित्सक एवं चिकित्सक शिक्षकों के बीच असंतोष की भावना पैदा होती है। सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 12534 दिनांक 17.09.2018 के आलोक में उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गयी अनुशंसाओं को आयुष निदेशालय, स्वास्थ्य विभाग के अधीन संविदा के आधार पर नियोजित चिकित्सक एवं चिकित्सक शिक्षक पर निम्नवत् संसूचित किया जाता है:–

1. आयुष निदेशालय के अधीन सृजित एवं रिक्त पदों पर नियोजित चिकित्सक एवं चिकित्सक शिक्षक की नियोजन अवधि के संबंध में –

(क) विभागान्तर्गत संविदा पर नियोजित एवं कार्यरत चिकित्सक एवं चिकित्सक शिक्षक का नियोजन पूरी तरह अस्थायी है तथा उच्च स्तरीय समिति के अनुशंसा के आलोक में नियमित नियुक्ति अथवा सेवानिवृति की आयु, जो भी पहले हो, तक के लिए है। फलतः संविदा के आधार पर नियोजित चिकित्सक एवं चिकित्सक शिक्षकों का प्रत्येक वर्ष संविदा अवधि विस्तार किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

(ख) अस्वस्थता या अनुशासनिक आधार पर अथवा सेवा असंतोषजनक होने के कारण नियमित नियुक्ति अथवा सेवानिवृति की आयु जो पहले लागू हो, के पूर्व भी नियुक्ति प्राधिकार द्वारा सेवा समाप्त की जा सकती है।

(ग) संविदा नियोजन की अन्य शर्त्तें नियोजन के समय निर्गत नियोजन पत्र/एकरारनामा में अंकित यथावत रहेंगी।

2. आयुष निदेशालय के अन्तर्गत संविदागत नियोजित चिकित्सक एवं चिकित्सक शिक्षकों के अवकाश के संबंध में –

(क) आकस्मिक अवकाश– सप्ताह में 5 दिन कार्य दिवस होने की स्थिति में एक वर्ष में 12 दिन एवं सप्ताह में 6 कार्य दिवस होने की स्थिति में एक वर्ष में 16 दिन।

(ख) अर्जित अवकाश– एक वर्ष में 16 दिन (सेवा के दूसरे वर्ष से लागू) एवं 60 दिन अधिकत संचित किया जा सकता है।

(ग) मातृत्व अवकाश– प्रसुति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम, 2017 "The Maternity Benefit (Amendment) Act, 2017" के आलोक में कंडिका (त) में मातृत्व अवकाश के संबंध में अनुशंसा की गयी है।

(घ) पितृत्व अवकश– 15 दिन (दो बच्चों तक)

(च) अवैतनिक अवकाश– 30 दिन।

3. अवकाश के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण निर्देश –

(क) उपर्युक्त अवकाश स्वीकृति नियुक्ति प्राधिकार द्वारा प्रदान की जायेगी।

(ख) अवकाश उपभोग की सूचना पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति के कार्यालय तथा मानदेय भुगतान के कार्यालय को प्रेषित किया जाना अनिवार्य होगा।

(ग) अवकाश किसी भी कर्मचारी का अधिकार नहीं है, अतः अवकाश पर जाने के पूर्व सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। अनाधिकृत रूप से अवकाश पर जाने पर संबंधित पर अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है। जो कर्मी बिना किसी सूचना के 15 दिन या इससे अधिक अवधि के लिए अनुपस्थित पाये जाते हैं, उनके पद को रिक्त घोषित किया जायेगा एवं संविदा के आधार पर नियोजन की प्रक्रिया आरम्भ कर दी जायेगी।

4. उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसाओं एवं सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प के आलोक में उपर्युक्त निर्णय केवल उन्हीं चिकित्सक एवं चिकित्सक शिक्षकों के संबंध में लागू होगी जिन नियोजित कर्मियों के संबंध में पद स्वीकृत हो, नियोजित कर्मी पद की अर्हता रखता हो, पद विज्ञापित किया गया हो, नियुक्ति हेतु चयन समिति का गठन किया गया हो एवं चयन प्रक्रिया अपनायी गयी हो, नियुक्ति सक्षम प्राधिकार द्वारा की गयी हो एवं सरकार द्वारा स्थापित आरक्षण के सिद्धांत का अनुपालन किया गया हो अर्थात नियोजन की प्रक्रिया/नियोजन वैध हो।

उक्त प्रस्ताव में माननीय मंत्री, स्वास्थ्य की सहमति प्राप्त है।

ह0/–
(रवीन्द्र यादव)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–16/ए.3–03/2015–535 (आ.चि.) पटना, दिनांक :– 10.4.2019

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7 को सूचनार्थ एवं बिहार, गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ स0डी0 के साथ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– महालेखाकर, (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी प्राचार्य/अधीक्षक/उपाधीक्षक राजकीय आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होमियोपैथिक कॉलेज, पटना, बेगूसराय, दरभंगा, बक्सर, भागलपुर, मुजफ्फरपुर/दस शैय्यायुक्त राजकीय होमियोपैथिक अस्पताल, पटना/सभी जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/स्वास्थ्य विभाग एवं आयुष निदेशालय के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी संबंधितों को सूचनार्थ।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

10.4.19

सरकार के अवर सचिव